

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

2110
9

// विविध आदेश //

क्रमांक 218 /

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 15 /09/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनुज त्यागी, अष्टम जिला न्यायाधीश रीवा	MACC No-21 to 50 & 81 to 100	श्री आशीष शुक्ला, 13वें जिला न्यायाधीश रीवा
2.	श्री शशांक खरे, 10वें जिला न्यायाधीश रीवा	MACC No-11 to 20, 46 to 85, 121 to 140, 151 to 160	श्री यशपाल सिंह, 16वें जिला न्यायाधीश रीवा
3.	श्री सुधीर सिंह राठौड़, 15वें जिला न्यायाधीश रीवा	MACC No-09 to 28, 46 to 75, 121 to 150, 201 to 220	श्री अशरफ अली, 19वें जिला न्यायाधीश रीवा

Sc/1
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 4622 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 15 /09/2025

प्रतिलिपि:-

- 08वें/10वें/13वें/15वें/16वें/19वें जिला न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
- जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13/9/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)